17/8/17 पत्रावली पेश हुई

उभय पक्ष अधिवक्ता उप०।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी

वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद के

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

लगातार 19/8/19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम कोटडा की खसरा नम्बर 608 रकबा 377.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वालिद बुरान वल्द सुमरा की खातेदारी की थी। बुरान के दो भाई वादीगण के वालिद सालिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के वालिद भाकूरा थे तथा बुरान के तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3 थे बुरान ने अपने दो भाईयों में से प्रत्येक और को 126–126 बीघा भूमि बखशी की जिसकी पालना में हल्का पटवारी ने जरिये नामान्तकरण संख्या 439 मौजा कोटडा खसरा नम्बर 608/2 रकबा पर 126 बीघा भूमि वादीगण के नाम व खसरा नम्बर 608/1 कायम कर 126 बीघा भूमि प्रतिवादी के 4 से 11 के नाम दर्ज की तथा 608 की शेष 125 बीघा भूमि बुराण की खातेदारी मे रखी। पक्षकार अपने–अपने हिस्सानुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे किन्तु लट्ठा नक्शा मे उक्त भूमि की पृथक से तरमीम नहीं की गई। मूल खसरा नम्बर 608 के मध्य से सड़क निकलने में 18–18 बीघा भूमि सडक मे चली गई उक्त 18–18 बीघा भूमि खसरा नम्बर 608 के मूल रकबा 377 मे से कम नही कर केवल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से मे आई भूमि मे से कम कर दी गई, जबकि सडक मे जाने के बाद बची 358–02 बीघा भूमि मे प्रत्येक पक्षकार का 1/3–1/3 हिस्सा होता है। वादग्रस्त भूमि मे से सडक निकलने के बाद ग्राम झरी का सृजन होने से सडक से उतर का भू–भाग ग्राम झरी मे तथा दक्षिणी समस्त भाग ग्राम जुणेजों की बस्ती में रहा। सडक मे 18–18 बीघा भूमि जाने के बाद वादीगण के हिस्से मे 120.02 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से में 117.18 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के हिस्से मे 120.02 बीघा भूमि आती हो इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कारते आ रहे है। अतः वादीगण ने राजस्व रिकार्ड मे अंकित प्रत्येक पक्षकार के त्रुटिपूर्ण रकबे को निरस्त करवाते हुए उनके वास्तविक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड मे भूमि दर्ज करवाने तथा लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने जवाब मे वाद के समस्त तथ्यों की ताइद करते हुए प्रत्येक पक्षकार का सडक से शेष भूमि में 1/3– 1/3 हिस्सा होने तथा इसी अनुसार काश्त होने के तथ्य का समर्थन किया। वाद के तथ्यो एवं कब्जा स्थिति की जानकारी हेतु तहसीलदार शिव से वादग्रस्त भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कि गई। वादीगण ने अपने वाद कथन के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दिया EXP 1 से EXP 3, नामान्तकरण संख्या 439 व 612 मौजा कोटडा EXP 4 व EXP 5, खसरा नम्बर 608 के पृथक पृथक लट्ठा नक्शा EXP 6 से EXP 8 तथा तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित मौका फर्द EXP 9 व कब्जा अनुसार नक्शा Exp 10 प्रदर्श करवाये तथा अदरीम PW 1 ने अपने अभिकथन दर्ज करवाये।

दिनांक 14/6/19 को पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने राजीनामा प्रस्तुत किया राजीनामा के अनुसार सडक में गई 18–18 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से में से नही निकाली जाकर प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में से सम्मान अनुपात में निकाली जानी चाहीये। वादीगण के हिस्से मे 120.02 बीघा आती है। जो सडक की उतरी भाग मे दर्शायी गई जबकि वादीगण का रकबा सडक के दोनो तरफ है। उतरी भाग का रकबा 68.04 बीघा है तथा शेष 51.18 बीघा सडक के दुसरी तरफ है। अतः वादीगण का रकबा सडक के दोनो तरफ होने से दो भागो मे विभक्त किया जाना है। अतः उभय पक्ष ने उक्त तथ्यों के सम्मन में राजीनामा में अपनी सहमती व्यक्त करते हुए इसी माफिक खातेदारी को सुना एवं तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया।

राजीनामा पर दोनो पक्षो को सुना एवं तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित मौका फर्द तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। ग्राम कोटडा की 377.00 बीघा भूमि, जिसका खसरा नम्बर 608 था प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वाल्दि बुरान की खातेदारी की थी, जिसने अपने भोश दो भाईयो के परिवारों को जरीये

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

बक्शीश नामा बह हिस्सा बराबर खातेदार बनाया, किन्तु मूल खसरा नम्बर 608 के मध्य से निकली सडक का रकबा 18–18 बीघा निकलने के बाद भी प्रत्येक पक्षकार का शेष भूमि में हक होना चाहिए और इस बाबत् समस्त खातेदारान राजीनामा में अपनी सहमति व्यक्त की है। तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में वादीगण का 120.02 बीघा भूमि पर है। कब्जा काश्त है जिसमे से 68.04 बीघा भूमि सडक के उत्तर में तथा 51.18 बीघा भूमि सडक के दुसरी तरफ है, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 117.18 बीघा भूमि पर तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 11 का 120.02 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। समस्त खातेदारान ने उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु राजीनामा में निवेदन किया है। ऐसी सुरत मे माफीक तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित मौका फर्द मय नक्शा राजस्व रेकर्ड में प्रविशि्टयां घोशित किये जाने मे कोई आपति प्रतित नही होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद माफिक राजीनामा एवं तहसीलदार शिव द्वारा प्रेशित एवं आई. एल.आर. गूंगा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट स्वीकार किया जाकार ग्राम झरी तहसील शिव की खसरा नम्बर 608 रकबा 126.00 बीघा व खसरा नम्बर 654/608 रकबा 18–18 बीघा, ग्राम जुणेजो की बस्ती खसरा नम्बर 608 रकबा 106.02 बीघा इसी ग्राम की खसरा नम्बर 751/608 रकबा 126.00 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है।

क.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	बरंग
1.	अदरीम, ईशा, लुकमान वरियाम पि0 सालिया, जाति–मुसलमान	झरी	608 608	68.04 51.18	
		योग :–	2	120.02	गुलाबी
2.	PWD (गै.मु. सडक)	झरी	654/608	18–18	बिना रंग
3.	हयात खां, हाजा खां, गुलाम खां पि0 बुरान खां, जाति– मुसलमान	जुणेजो की बस्ती	608	117.18	हरा
4.	आचार, ईशाक, अलीसेर, अब्दुला अहमद, खानिया, गफूर, जमा, लियाकत अली पि0 भाकुरा जाति– मुसलमान	जुणेजो की बस्ती	751/608	120.02	नीला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद और नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। PWD की खसरा नम्बर 654/608 की 18–18 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा मे यथावत रहेगी। तहसीलदार शिव द्वारा जरीये पत्र क्रमाक भू0अ0/2019 /1853 दिनांक 12.07.2019 प्रेषित मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 19/8/19........ को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 63/2019

अन्तर्गत धारा 88,91, 92, 53 RT Act.

वदीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अधरीम पुत्र सालिया 2. ईशा पुत्र सालिया 3. लुकमान पुत्र सालिया 4. वारियाम पुत्र सालिया जाति–मुसलमान, नि0 झरी, तह0 शिव		1. हयात खां पुत्र बुरान 2. हाजा खां पुत्र बुरान 3. गुलाम खां पुत्र बुरान 4. आचार पुत्र शकूरा 5. ईसाक पुत्र शकूरा 6. अलीशेर पुत्र शकूरा 7. अब्दुलाअहमद पुत्र शकूरा 8. खानिया पुत्र शकूरा 9. गफुर पुत्र शकूरा 10. जमा पुत्र शकूरा 11. लियाकतअली पुत्र शकूरा जाति– मुसलमान, नि0 जुणेजो की बस्ती तह0 शिव 12. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. शाखा– शिव 13. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एडवोकेट– वादी।

2. प्रतिवादी संख्या हरीराम चौधरी

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 19.08.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा एवं तहसीलदार षिव द्वारा प्रेषित एवं आई.एल.आर. गूंगा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकार ग्राम झरी तहसील शिव की खसरा नम्बर 608 रकबा 126.00 बीघा व खसरा नम्बर 654/608 रकबा 18–18 बीघा, ग्राम जुणेजो की बस्ती खसरा नम्बर 608 रकबा 106.02 बीघा इसी ग्राम की खसरा नम्बर 751/608 रकबा 126.00 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	बरंग
1.	अदरीम, ईशा, लुकमान वरियाम पि0 सालिया, जाति–मुसलमान	झरी	608 608	68.04 51.18	
		योग :–	2	120.02	गुलाबी
2.	PWD (गै.मु. सडक)	झरी	654/608	18–18	बिना रंग

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

3.	हयात खां, हाजा खां, गुलाम खां पि0 बुरान खां, जाति– मुसलमान	जुणेजो की बस्ती	608	117.18	हरा
4.	आचार, ईषाक, अलीसेर, अब्दुला अहमद, खानिया, गफूर, जमा, लियाकत अली पि0 शकुरा जाति– मुसलमान	जुणेजो की बस्ती	751 / 608	120.02	नीला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद और नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। PWD की खसरा नम्बर 654 / 608 की 18–18 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्षा मे यथावत रहेगी। तहसीलदार शिव द्वारा जरीये पत्र क्रमाक भू0अ0 / 2019 / 1853 दिनांक 12.07.2019 प्रेषित मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज तारीख 19.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 11:50:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: